



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270817
CG-DL-E-10032026-270817

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1194]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947

No. 1194]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 1246(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्र सरकार का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021" में निम्नलिखित संशोधन करता है जो कि 18 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एसओ 1248 (ई) के माध्यम से अधिसूचित किया गया और समय-समय पर संशोधित किया गया है।

2. उक्त आदेश में, अधिसूचना संख्या एसओ संख्या 2844 (ई) दिनांक 1 जुलाई, 2021 के माध्यम से डाले गए पैराग्राफ 8 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा

अत्यधिक विशिष्ट उपकरण (एचएसई) के लिए छूट: नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार एचएसई को राजपत्र अधिसूचना एसओ संख्या 1248 (ई) दिनांक 18 मार्च, 2021 के पैरा 2 के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट छूट के आधार पर इस आदेश के आवेदन से छूट दी जाएगी, जैसा कि एसओ 1929 (ई) दिनांक 26 अप्रैल 2023 द्वारा संशोधित किया गया है, बशर्ते कि वे प्रति वर्ष प्रति मॉडल 100 इकाइयों से कम में निर्मित/आयातित हों-

क) तीन फेज बिजली आपूर्ति द्वारा संचालित उपकरण या

ख) एक फेज बिजली आपूर्ति द्वारा संचालित उपकरण जिनकी करंट रेटिंग 16 एम्पीयर या उससे अधिक हो, या

- ग) 1.5 मीटर x 0.8 मीटर से अधिक आयाम वाले उपकरण, या
घ) 80 किलोग्राम से अधिक वजन वाले उपकरण
3. उपरोक्त संशोधन 15 जून, 2026 से प्रभावी होगा।

[फा. सं. डब्ल्यू-47/21/2022-आईपीएचडब्ल्यू]

आशा नांगिया, जीसी और वैज्ञानिक "जी"

मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में एसओ संख्या 1248 (ई) दिनांक 18 मार्च, 2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में एसओ संख्या 1353 (ई) दिनांक 25 मार्च, 2021, एसओ 2844 (ई) दिनांक 01 जुलाई, 2021, एसओ संख्या 1929 (ई) दिनांक 26 अप्रैल, 2023, एसओ संख्या 1652 (ई) दिनांक 9 अप्रैल, 2024, एसओ संख्या 4378 (ई) दिनांक 9 अक्टूबर, 2024, एसओ संख्या 1363 (ई) दिनांक 20 मार्च, 2025 एसओ संख्या 4362 (ई) दिनांक 22 सितंबर, 2025, 4 नवंबर, 2025 और एसओ संख्या 352 दिनांक 22 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

ORDER

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 1246(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and the Central Government being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments to the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021”, notified vide S.O. 1248(E) published in the Gazette of India on 18th March, 2021 and amended from time to time

2. In the said Order, Paragraph 8 inserted vide notification No S.O. No 2844 (E) dated 1st July, 2021 shall be read as

Exemption for Highly Specialized Equipment (HSE): HSE as per the criteria given below shall stand exempted from application of this Order based on specific exemption issued by Ministry of Electronics and Information Technology under Para 2 of Gazette notification S.O. No 1248(E) dated the 18th March, 2021, as amended by S.O. 1929 (E) dated 26th April 2023, provided they are manufactured/ imported in less than 100 units per model per year-

- Equipment Powered by three phase power supply or
- Equipment Powered by single phase power supply with current rating exceeding 16 Ampere or
- Equipment with dimensions exceeding 1.5 m x 0.8 m or
- Equipment with weight exceeding 80 Kg

3. The aforesaid amendment shall come into effect from 15th June, 2026.

[F. No. W-47/21/2022-IPHW]

ASHA NANGIA, GC & Scientist “G”

The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E) dated the 18th March, 2021 and subsequently amended vide S.O. No 1353(E) dated 25th March, 2021, S.O. 2844(E) dated 01st July, 2021, S.O. No 1929(E) dated 26th April, 2023, S.O. No 1652(E) dated 9th April, 2024, S.O. No 4378(E) dated 9th October, 2024, S.O. No 1363(E) dated 20th March, 2025 S.O. No 4362(E) dated 22th September, 2025, 4th November, 2025 and S.O. No 352 dated 22th January, 2026.